फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री सुन्दरलाल — **विपक्षी : श्री भानसिंह**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 15/21**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 29.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प भीमल में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 1116 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा विक्रय ईकरार दिनांक 16.08.2016 को निष्पादित किया। विक्रय ईकरार की पालना नहीं कराने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विरूद्व न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर के समक्ष ईकरार की पालना हेतु वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 65/2020 होकर पेशी दिनांक 21.12.2021 नियत थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 को दिनांक 31.05.2021 को विक्रय कर दी, जबकि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर में वाद विचाराधीन होने से उक्त नामान्तरकरण विवादित होने से नामान्तरकरण निरस्त किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा दिनांक 21.09.2021 को पारित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण को विवादित भूमि का होना बताकर ग्राम पंचायत द्वारा गलत नामान्तरकरण को निरस्त कराने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1116 पारित किया है उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर के यहां वाद विचाराधीन हैं। वाद विचाराधीन होने से उक्त भूमि विवादित होने से विवादित भूमि का नामान्तरकरण को सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत को नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरकरण को पारित किया है जिसमें विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत बोयणा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1116 दिनांक 21.09.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:09:40 IST
Reason: SelfAttested

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली